बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
अधिसूचना

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 एवं बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण), नियमावली, 2017 के नियम 3 एवं 4 में निहित प्रावधानों के तहत अधिसूचना सं० 1744 दिनांक-05.08.2025 के द्वारा कुल 14 जिलो में किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया गया है।

बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 के नियम-5(4) के अनुसार बोर्ड में कोई रिक्त पद होने की स्थिति में चयन समिति द्वारा तैयार किये गये नामों के पैनल से अन्य व्यक्ति की नियुक्ति कर भरे जाने का प्रावधान है। उक्त के आलोक में कुल 03 जिलो के किशोर न्याय बोर्ड में कतिपय कारणों से हुए रिक्त पदों पर मेधा सूची के आधार पर प्रतीक्षा सूची से भरे जाने वाले सामाजिक सदस्यों की विवरणी निम्नवत है:-

क्र०	जिला का नाम	नाम	पत्राचार का पता	पदनाम	अभ्युक्ति
1	खगडिया	मो० आलमगीर	पिता-मो० सईद, गाँव+पो० बछौता, थाना-मोरकाही, जिला-खगडिया-851204	सदस्य	
2	समस्तीपुर	कुमारी प्रियंका	पिता-श्री सुनील कुमार सहनी, वार्ड नं० 20, गाँव-काली वेदी स्कूल, पो०रोसड़ा, जिला-समस्तीपुर-848210	सदस्य	
3	सुपौल	राम नरेश यादव	पिता-श्री बिन्देश्वरी यादव, गाँव- खरैल पुनर्वास, पो०-पिपरा खुर्द, थाना+जिला-सुपौल-852131	सदस्य	

1. किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2(13) में वर्णित विधि विरोधी बालक के विषय में बोर्ड को उक्त अधिनियम की धारा 4(2) एवं धारा 8 में प्रदत्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

2. इस अधिसूचना द्वारा चयनित सदस्यों की कालावधि विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-1744 दिनांक-05.08.2025 के आलोक में चयनित किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक सदस्यों की शेष अवधि तक के लिए मान्य होगी।

3. गठित किशोर न्याय बोर्ड का क्षेत्राधिकार जिला स्तरीय होगा।

4. बोर्ड के सदस्यों को किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 की उपधारा 4, 6 एवं 7 में अंकित प्रावधान के आलोक में उन्हें पद से हटाया जा सकेगा।

5. बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 के नियम 5 के उपनियम 3 के अनुसार बोर्ड के सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को एक मास की लिखित पूर्व सूचना देकर त्याग पत्र दे सकेंगे।

6. बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 के नियम 5 के उपनियम 2 के अनुसार बोर्ड का कोई भी सदस्य अधिकतम दो कार्यकालों तक नियुक्ति के लिए पात्र होगा, जो कि लगातार नहीं होंगे, अर्थात बोर्ड में सदस्य यदि एक कार्यकाल में एक वर्ष या एक वर्ष से अधिक कार्य किये हो तो उसे एक कार्यकाल एवं द्वितीय कार्यकाल में भी एक वर्ष या एक वर्ष से अधिक कार्य किये हों तो उसे द्वितीय कार्यकाल माना जाएगा।

7. बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 के नियम 5 के उपनियम (5) के अनुसार बोर्ड की बैठक में कोरम हेतु कम से कम दो सदस्य होंगे। जिसके अंतर्गत प्रधान मजिस्ट्रेट भी हैं।

8. बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 के नियम 54 के उपनियम 7 के अनुसार बोर्ड के सदस्य को इस अधिनियम और नियमों के अधीन सेवा से पदच्युत किया हो अथवा दोषी पाया गया हो तो उसे नियुक्ति से अयोग्य ठहराया जायेगा।

9. नियम 88 के उपनियम 5 में परिगणित कारणों के आधार पर चयनित सदस्यों को किसी भी समय पदमुक्त किया जा सकेगा।

10. बोर्ड के चयनित सदस्यों के संबंध में यदि किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो नियमावली, 2017 के नियम 88 के उपनियम 11, 15, 17 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकेगी।

11. बोर्ड के सदस्य अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह के अंदर अपना योगदान संबंधित जिला पदाधिकारी को देंगे एवं इसकी सूचना निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना, सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड को भी देंगे।

12. बोर्ड अपनी शक्तियाँ एवं कर्तव्यों का निर्वहन किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (यथा संशोधित अधिनियम, 2021) एवं बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 के अनुसार कर सकेगी तथा सदस्य के द्वारा विधि संगत शक्ति एवं कर्तव्यों के निर्वहन में किसी प्रकार की अनियमितता या वैधानिक असंगतता पाये जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी तथा इसे बालहित के विरूद्ध समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

19/11/18

(योगेश कुमार सागर)

संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक-10/चयन कि०न्याय परि०-01/2025-2500 पटना दिनांक-19.11.2025

प्रतिलिपिः- महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/11/25

संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक-10/चयन कि०न्याय परि०-01/2025-2500 पटना दिनांक-19.11.2025

प्रतिलिपिः- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/ जिला एवं सत्र न्यायाधीश/निदेशक, समाज कल्याण, बिहार, पटना/ प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय परिषद/ सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई/ अधीक्षक, बाल गृह, पर्यवेक्षण गृह, विशेष गृह एवं सुरक्षित स्थान एवं सभी नव चयनित सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/11/25

संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक-10/चयन कि०न्याय परि०-01/2025-2500 पटना दिनांक-19.11.2025

प्रतिलिपिः- अधीक्षक, राजकीय प्रेस, गुलजारबाग, पटना-7 को असाधरण अंक में प्रकाशित कर इसकी 100 प्रति अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

19/11/25

संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक-10/चयन कि०न्याय परि०-01/2025-2500 पटना दिनांक-19.11.2025

प्रतिलिपिः- आई0टी0 मैनेजर, समाज कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/11/25

संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।